भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4241

29 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए नियत

सी.एस.आर. निधि

4241. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न उपक्रमों ने कोर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) के अंतर्गत धन आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और क्षेत्रवार लाभान्वित व्यक्तियों की उपक्रम/जिला/मद-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में विशेष रूप से पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में सी.एस.आर के अंतर्गत निधि खर्च करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों विशेषकर मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को इसके अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ख): इस मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) के अंतर्गत आबंटित और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न है।

(ग) से (ङ) : वित्त मंत्रालय के अधीन लोक उद्यम विभाग (जो कोर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए नोडल विभाग है) ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित कॉर्पोरेटों के कोर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्य कंपनी अधिनियम,2013 की धारा-135 के अनुसार शासित होते हैं जिसमें अन्य के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के दायरे में आने वाली कंपनियों, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों के लिए आबंटित की जाने वाली धनराशि के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। तथापि, उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के संबंध में प्रत्येक वर्ष विषय-वस्तु आधारित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाए जाने के लिए लोक उद्यम विभाग सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वित्त वर्ष 2018-19 से ही दिशा-निर्देश जारी कर रहा है। इन अनुदेशों में, अन्य बातों के साथ यह प्रावधान भी है कि ऐसे विषयगत कार्यक्रमों के लिए सीएसआर व्यय केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60% होना चाहिए और नीति आयोग द्वारा चिह्नित आकांक्षी जिलों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय में प्राथमिकता दी जाए।

***

अनुलग्नक

क्र. सं.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के नाम	वित्त वर्ष	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आबंटित कुल निधि (लाख रुपए में)	अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आवंटित और प्रयुक्त निधि का विवरण (लाख रु. में)		उन जिलों के नाम जहां निधि का उपयोग किया गया	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	मद, जहां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि का उपयोग किया गया
				आबंटित निधि	प्रयुक्त निधि			
1.	एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)	2018-19	19.15	9.10	8.61	पश्चिम बंगाल में दक्षिण दिनाजपुर जिला और जलपाईगुड़ी जिला	600	दक्षिण दिनाजपुर में 4 स्कूलों में सुरक्षित पेयजल के लिए सबमर्सिबल पंपों की स्थापना के साथ-साथ 4 शौचालय परिसरों (2 मूत्रालय और 1 डब्ल्यूसी) का निर्माण किया। न्यू दुआर्स, उत्तर बंगाल में बनारहाट शहर में महिलाओं के परिधान और आधुनिक डिजाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
		2019-20	10.32	10.21	10.21	पश्चिम बंगाल में दक्षिण दिनाजपुर जिला और असम में डिब्रूगढ़ जिला	600	दक्षिण दिनाजपुर में 4 स्कूलों में सुरक्षित पेयजल के लिए सबमर्सिबल पंपों की स्थापना के साथ-साथ 4 शौचालय परिसरों (2 मूत्रालय और 1 डब्ल्यूसी) का निर्माण किया। गहन प्रशिक्षण के साथ विशेष पाठ्यक्रम: सिलाई/कढ़ाई/कपड़े की छपाई। खोवांग चाय बागान, असम में इंटेंस एंड कैंडल मेकिंग/ब्यूटीशियन/ होम-डेकोर।

		2020-21	***शून्य***				
		2021-22 (दिनांक 22.03.2022 की स्थिति के अनुसार)					
2.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)	2018-19	670	बीएचईएल द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कार्यकलापों/पहलों का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय सहित समाज के वंचित और पददलित वर्ग के लाभ के लिए समुदाय/अवसंचरनात्मक विकास, मरम्मत/नवीनीकरण कार्य, सार्वजनिक सुविधाएं और सहूलियतें, शिक्षा सहायता और शैक्षिक सहायता प्रदान करना,	भेल द्वारा सीएसआर गतिविधियां देश भर के विभिन्न जिलों/स्थानों पर आयोजित की जाती हैं जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: हरिद्वार, ऋषिकेश, गौतमबुद्ध नगर, झांसी, कानपुर, वाराणसी, दमोह, सतपुड़ा,	अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण के लिए सीएसआर के अंतर्गत खर्च की गई राशि के संबंध में विशिष्ट जानकारी का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ऐसी जानकारी	आजीविका संवर्धन/आय सृजन संवर्धन, व्यावसायिक कौशल प्रदान करने, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और खेल सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देकर भुखमरी और गरीबी को कम करना जिसमें स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, नदियों की सफाई और संरक्षण, स्वच्छ परिवेश; स्कूलों में विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालय, प्राथमिक स्कूल स्तर पर ड्रॉपआउट को कम करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा पर जोर देने के साथ शिक्षा को बढ़ावा देना, नैतिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, दिवा चिकित्सा केंद्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं, ग्रामीण विकास सौर ऊर्जा, राष्ट्रीय दाय, कला और संस्कृति के संरक्षण संबंधी परियोजनाओं पर जोर देने के साथ पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करने
		2019-20	2880				
		2020-21	2018				
		2021-22 (दिनांक 22.03.2022 की स्थिति के अनुसार)	शून्य				

				विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास, चिकित्सा/स्वास्थ्य/स्वच्छता सहायता आदि प्रदान करना है। इस प्रकार, अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण के लिए सीएसआर राशि/निधि व्यय की विशिष्ट जानकारी का पता लगाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।		खगड़िया, मुजफ्फरपुर, हजारीबाग, कंधमाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, टांडा, नूंह , विजयनगरम, खम्मम, निजामाबाद, तिरुवल्लूर, सूर्यपेट और बीकानेर।	की उचित पहचान, संग्रहण/ आत्मसातीकरण, लेखांकन में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं।	वाली ग्रामीण विकास परियोजनाएं और स्लम विकास परियोजनाएं शामिल हैं।
3.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (आई) लि. (बी एंड आर)	2018-19	40.84	39.89	39.89	क) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। ख) कोरापुट, ओडिशा	1820	– ब्रिज एंड रूफ ने विशाखापत्तनम में अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए रोजगार/स्वरोजगार उन्मुख व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम एनएसएफडीसी) के साथ भागीदारी की। – विभिन्न खेल कार्यकलापों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), कोरापुट, ओडिशा के माध्यम से नारायणपत्तनम में खेल के मैदान की मरम्मत।
		2019-20	75.94	64.99	64.99	क) वाइजियांग,आं	2549	– जिला कलेक्टर कार्यालय, विजयनगरम के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।

						ध्र प्रदेश ख) दक्षिणी 24 परगना, पश्चिम बंगाल		– विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए ग्रामीण स्कूल अवसंरचना, अवसंरचना सुविधा और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।
		2020-21	86.84	76.00	76.00	क) चतरा,झारखंड ख) उत्तीर दिनाजपुर, दक्षिणी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	3680	– उपायुक्त कार्यालय, चतरा, झारखंड के माध्यम से चतरा, झारखंड में टीबी अस्पताल का निर्माण। – विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए ग्रामीण स्कूल अवसंरचना, अवसंरचना सुविधा और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।
		2021-22 (दिनांक 22.03.2022 की स्थिति के अनुसार)	90.91	90.07	90.07	क) लखनऊ, उत्तर प्रदेश ख) हरिद्वार,उत्तराखंड ग) हावड़ा और दक्षिणी 24 परगना,पश्चिम बंगाल	4285	– भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत परिधान निर्मित और होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल (एएमएचएसएससी) द्वारा लखनऊ में महिला सशक्तिकरण हेतु परिधान कौशल प्रशिक्षण संबंधी व्यावसायिक प्रशिक्षण। – जिला मजिस्ट्रेट रोशनाबाद, हरिद्वार के माध्यम से रुड़की के अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति। – पश्चिम बंगाल में कोविड रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों के लिए उपकरण और ग्रामीण स्कूल अवसंरचना।
3.	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप	2018-19	92.28	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	अनुसूचित जाति-बहुल क्षेत्रों के संबंध में कोई नहीं। हालांकि, कंपनी ने स्वच्छ भारत कोष में 40 लाख रुपये और स्वच्छ गंगा कोष में 10

	कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)							लाख रुपये की राशि का अंशदान किया।
		2019-20	42.28	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	अनुसूचित जाति-बहुल क्षेत्रों के संबंध में कोई नहीं। हालांकि, कंपनी ने हैलाखांडी जिला, असम (जो एक आकांक्षी जिला है) के रताकांडी एमवी स्कूल, 407 वैयाला लोअर प्राइमरी स्कूल और नेताई राम एलपी स्कूल के लिए 05.37 लाख रुपये की राशि से प्रमुख शैक्षिक वस्तुओं का प्रावधान किया और असम के हैलाखांडी जिले में स्थित गांवों में 3.98 लाख रुपये की राशि से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, असम का हैलाखंडी जिला एक आकांक्षी जिला है। इसमें 03.00 लाख रुपये की राशि से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण (सिलाई, कटाई, बुनाई) का आयोजन किया गया।
		2020-21	28.87 लाख	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	अनुसूचित जाति-बहुल क्षेत्रों के संबंध में कोई नहीं। हालांकि, आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष के लिए 28.87 लाख रुपये की राशि का अंशदान किया गया था।
		2021-22 (दिनांक 22.03.2022 की	12.63 लाख	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	अनुसूचित जाति-बहुल क्षेत्रों के संबंध में कोई नहीं। हालांकि, आंखों की देखभाल के लिए चिकित्सा उपकरण हेतु आई केयर एंड रिसर्च सेंटर, कोलकाता के लिए 12.15 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

		स्थिति के अनुसार)						
4.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2018-19	2.5 (व्यय की गई वास्तविक राशि)	-	-	कर्बी आंगलोंग, असम	-	असम के बोकाजन में पेयजल की सुविधाएं और हिडिपी स्कूल का जीर्णोद्धार।
		2019-20	44 (व्यय की गई वास्तविक राशि)	-	-	-	-	पीएम केयर फंड
		2020-21	-	-	-	-	-	-
		2021-22 (दिनांक 22.03.2022 की स्थिति के अनुसार	-	-	-	-	-	-
5.	एचएमटी लिमिटेड	2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2019-20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2020-21	15.20	15.20	14.40	यादगीर जिला, कर्नाटक	उपलब्ध नहीं	शिक्षा/प्रचार पोषण और स्वास्थ्य देखभाल

		2021-22 दिनांक 22.03.2022 की स्थिति के अनुसार	41.03	शून्य	शून्य		एचएमटी लिमिटेड बोर्ड ने कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची VII की अनुसूची से अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल केंद्रों अथवा अन्य परियोजनाओं की स्थापना सहित कोविड संबंधी उपायों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्रों में जारी कार्यों/तीन वर्ष के भीतर पूरी की जाने वाली परियोजना के रूप में 41.03 लाख रूपए के सीएसआर व्यय की मंज़ूरी दी है।	
6.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड।	2018-19	-	शून्य	शून्य	-	-	-
		2019-20	52 लाख	शून्य	शून्य	-	-	पीएम केयर फंड
		2020-21	-	शून्य	शून्य	-	-	-
		2021-22 दिनांक 22.03.2022 की स्थिति के अनुसार	42.87 लाख	शून्य	शून्य	-	-	कंपनी बोर्ड ने 2020-21 तक सीएसआर के तौर पर कुल 42.87 मिलियन रुपये के का अंशदान करने का निर्णय लिया है।